

सेवा में,

02 FEB 2016

Information sought under RTI Act 2005.

By Speed Post

Department of Personnel & Training
Ministry of Personnel,
Public Grievances and Pensions,
North Block, New Delhi - 110001.

Subject:- Information sought under RTI Act 2005.

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर कृपया हिंदी में दें।

Department of Personnel & Training Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions,
Govt. of India, कृपया निम्नलिखित जानकारी दे.....

1. कृपया बताएं कि Department of Personnel & Training Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Govt. of India ने कोई Recruitment Rule (RR) /Policy/etc बनाएँ contract employee को रखने के लिए या उन्हें दि जाने वाली तमाम तरह के किसी भी प्रकार की सुविधाएँ का विस्तार से विवरण सहित बताएं व प्रतिलिपि (Photocopy) उपलब्ध कराये और यदि नहीं तो क्यों नहीं प्रतिलिपि (Photocopy) उपलब्ध कराये।
2. कृपया बताएं कि Department of Personnel & Training Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Govt. of India ने कोई भी किसी भी प्रकार के Recruitment Rule (RR) /Policy/etc data entry operator के लिए बनाएँ है। प्रतिलिपि (Photocopy) उपलब्ध कराये और इन्हे कब-कब modify किया गया या विस्तार किया और क्यों किया विवरण सहित बताएं और प्रतिलिपि (Photocopy) उपलब्ध कराये।
3. कृपया बताएं कि Department of Personnel & Training Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Govt. of India ने Recruitment Rule (RR) /Policy/etc contract employees के लिए बनाएँ हैं प्रतिलिपि (Photocopy) उपलब्ध कराये और इन्हे कब-कब modify किया गया व किसका और क्यों विस्तार से विवरण सहित बताएं और प्रतिलिपि (Photocopy) उपलब्ध कराये।
4. कृपया बताएं कि Department of Personnel & Training Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Govt. of India ने कोई भी किसी भी प्रकार के Recruitment Rule (RR) /Policy/etc data entry operator on contract basis के लिए बनाएँ है। प्रतिलिपि (Photocopy) उपलब्ध कराये और इन्हे कब-कब modify किया गया या विस्तार किया और क्यों किया विवरण सहित बताएं और प्रतिलिपि (Photocopy) उपलब्ध कराये।
5. कृपया बताएं कि Department of Personnel & Training Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Govt. of India के आधिन विभिन्न विभागो/divisions/offices ने कोई नया Recruitment Rule (RR) /Policy/etc बनाएँ है contract employee को स्थाई करने के लिए या उनके बारे में यदि हों तो विस्तार से विवरण सहित बताएं व प्रतिलिपि (Photocopy) उपलब्ध कराये और यदि नहीं तो क्यों नहीं प्रतिलिपि (Photocopy) उपलब्ध कराये। यदि कोई समय सीमा है तो बताएं या इसमें अभी कितना समय लगेगा विस्तार से विवरण सहित बताएं और प्रतिलिपि (Photocopy) उपलब्ध कराये।
6. कृपया बताएं कि Department of Personnel & Training Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Govt. of India के आधिन विभिन्न विभागो/divisions/offices में कार्य कर रहे सविदा / अस्थाई (Contract Employees direct engaged by department) कार्यकृत कर्मचारियों जिनकी sanction post विभाग में नहीं हैं क्या उनको विभाग द्वारा minimum wages & any allowances दिया जा

रहा है। यदि दिया जा रहा है और यदि नहीं दिया जा रहा दोनों ही सूरत में प्रतिलिपि (Photocopy) उपलब्ध कराये।

7. कृपया बताएं कि Department of Personnel & Training Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Govt. of India के आधिन विभिन्न विभागों में कार्य कर रहे संविदा / अस्थायी (Contract Employees) engaged by third party / contractor कार्यकृत कर्मचारियों जिनकी sanction post विभाग में नहीं है क्या उनको विभाग द्वारा minimum wages & any allowances दिया जा रहा है। यदि दिया जा रहा है और यदि नहीं दिया जा रहा दोनों ही सूरत में प्रतिलिपि (Photocopy) उपलब्ध कराये।
8. कृपया बताएं कि Department of Personnel & Training Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Govt. of India के आधिन विभिन्न विभागों में कार्य कर रहे संविदा / अस्थायी (Contract Employees direct engaged by department) कार्यकृत कंप्यूटर ओपरेटर या डाटा इन्ट्री औपरेटर (DATA ENTRY OPERATOR) को जो कि विभाग द्वारा खुद रखे गए क्या ऐसे कर्मचारी को कभी Department of Personnel & Training Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Govt. of India के आधिन कार्यरत विभाग जैसे विभागो/divisions/offices विभाग द्वारा पूर्व में स्थाई (permanent) किया गया है। अथवा किया जा रहा है या ऐसा किसी प्रकार का Proposal/policy/file है तो विस्तार से विवरण सहित किस नियम के तहत बताएं और प्रतिलिपि (Photocopy) उपलब्ध कराये।
9. कृपया बताएं कि Department of Personnel & Training Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Govt. of India के आधिन विभिन्न विभागों में कार्य कर रहे संविदा / अस्थायी (Contract Employees direct engaged by department) कार्यकृत किसी भी पद पर (any post) जो कि विभाग द्वारा खुद रखे गए क्या ऐसे कर्मचारी को कभी Department of Personnel & Training Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Govt. of India के आधिन कार्यरत विभाग जैसे विभागो/divisions/offices etc विभाग द्वारा पूर्व में स्थाई (permanent) किया गया है। अथवा किया जा रहा है या ऐसा किसी प्रकार का Proposal/policy/file है तो विस्तार से विवरण सहित किस नियम के तहत बताएं और प्रतिलिपि (Photocopy) उपलब्ध कराये।
10. कृपया बताएं कि Department of Personnel & Training Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Govt. of India के आधिन कार्यरत विभाग जैसे विभागो/divisions/offices etc etc किन विभागों में कंप्यूटर ओपरेटर या या डाटा इन्ट्री औपरेटर (DATA ENTRY OPERATOR) की Sanctioned Post नहीं है तथा उन्हें दि जाने वाले भुगतान व सुविधाएँ का विस्तार से विवरण सहित बताएं और प्रतिलिपि (Photocopy) उपलब्ध कराये।
11. कृपया बताएं कि Department of Personnel & Training Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Govt. of India के आधिन कार्यरत विभाग जैसे विभागो/divisions/offices etc के आधिन किन विभागों में कंप्यूटर ओपरेटर या या डाटा इन्ट्री औपरेटर (DATA ENTRY OPERATOR) की Sanctioned Post नहीं है परन्तु उस विभाग कंप्यूटर ओपरेटर या डाटा इन्ट्री औपरेटर (DATA ENTRY OPERATOR) काम कर रहे है कृपया उनकी संख्या व कब से कार्य कर रहे है और उनकी नियुक्ती कैसे हुई के बारे में विस्तार से विवरण सहित बताएं और प्रतिलिपि (Photocopy) उपलब्ध कराये।
12. कृपया बताएं कि Department of Personnel & Training Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Govt. of India के आधिन कार्यरत विभाग जैसे विभागो/divisions/offices etc के आधिन किन विभागों में कंप्यूटर ओपरेटर या डाटा इन्ट्री औपरेटर (DATA ENTRY OPERATOR) की Sanctioned Post नहीं है परन्तु उस विभाग में कंप्यूटर ओपरेटर या डाटा इन्ट्री औपरेटर (DATA ENTRY OPERATOR) काम कर रहे है विभागों द्वारा उनको दि जा रही सुविधाएँ (Any type of leave and Financial and others, Salary/Bonos etc with breakup) विस्तार से विवरण सहित बताएं और प्रतिलिपि (Photocopy) उपलब्ध कराये।

13. कृपया बताएं कि Department of Personnel & Training Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Govt. of India के आधिन कार्यरत विभाग जैसे विभागो/divisions/offices etc के आधिन किन विभागों में कंप्यूटर ओपरेटर या डाटा इन्ट्री औपरेटर (DATA ENTRY OPERATOR) की Sanctioned Post कम है परन्तु उस विभाग कंप्यूटर ओपरेटर या डाटा इन्ट्री औपरेटर (DATA ENTRY OPERATOR) ज्यादा काम कर रहे हैं उन विभागों द्वारा दी जा रही सुविधाएं (Any type of leave and Financial and others, Salary/Bonos etc with breakup) विस्तार से विवरण सहित बताएं और प्रतिलिपि (Photocopy) उपलब्ध कराएं।
14. कृपया बताएं कि Department of Personnel & Training Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Govt. of India के आधिन कार्यरत विभाग जैसे विभागो/divisions/offices etc के आधिन किन विभागों में काम कर रहे Sanctioned Post नहीं है परन्तु उस विभाग कंप्यूटर ओपरेटर या डाटा इन्ट्री औपरेटर (DATA ENTRY OPERATOR) काम कर रहे हैं विभागों द्वारा उनको दी जा रही सुविधाएं (Financial and others, Salary/Bonos etc with breakup) विस्तार से विवरण सहित बताएं और प्रतिलिपि (Photocopy) उपलब्ध कराएं।
15. Department of Personnel & Training Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Govt. of India के आधिन कार्यरत विभाग जैसे विभागो/divisions/offices etc में कितने कंप्यूटर आपरेटर / या डाटा इन्ट्री औपरेटर (DATA ENTRY OPERATOR) संविधा (contract) पर विभाग द्वारा direct appoint है संख्या बताएं व प्रतिलिपि दें। किस आधार पर इनकी नियुक्ती की गई तो उनकी भर्ती की प्रक्रिया क्या थी और इनको दी जाने वाली वित्तिय व अन्य सुविधाएं का विवरण सहित बताएं तथा प्रतिलिपि दें। उस विज्ञापन की प्रतिलिपि उपलब्ध कराएँ जिसके द्वारा कथित कंप्यूटर आपरेटरों या डाटा इन्ट्री औपरेटर (DATA ENTRY OPERATOR) की नियुक्ती की गयी थी। इन कंप्यूटर आपरेटरों को किन नियम व शर्तों के आधार पर नियुक्त किया गया विवरण सहित बताएं तथा प्रतिलिपि दें।
16. संविधा (contract) पर आधारित कार्यरत कंप्यूटर आपरेटर या डाटा इन्ट्री औपरेटर (DATA ENTRY OPERATOR) की नियुक्त NIELIT/ DOEACC and any third party / agency या ठेकेदारों द्वारा रखे गए हैं उनकी संख्या व कब से रखे गए हैं समय भी बताएं तथा किन नियम व शर्तों के अंतर्गत नियुक्त किया गया। विज्ञापन/ नियुक्ति सम्बंधी करार की प्रतिलिपि व विवरण सहित बताएं व उपलब्ध कराएं।
17. संविधा (contract) पर आधारित कार्यरत कंप्यूटर आपरेटर या डाटा इन्ट्री औपरेटर (DATA ENTRY OPERATOR) NIELIT/ DOEACC या अन्य किसी एजेंसी या ठेकेदारों के द्वारा संविधा पर नियुक्त किये गये कंप्यूटर आपरेटरों या डाटा इन्ट्री औपरेटर (DATA ENTRY OPERATOR) में से किसी को Department of Personnel & Training Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Govt. of India के आधिन कार्यरत विभाग जैसे विभागो/divisions/offices etc ने अपने पेरोल या स्थाई तौर पर रखा है ? यदि हाँ तो उसकी प्रति उपलब्ध कराएँ।
18. क्या Department of Personnel & Training Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Govt. of India के आधिन कार्यरत विभाग जैसे विभागो/divisions/offices etc में कंप्यूटर आपरेटरों या डाटा इन्ट्री औपरेटर (DATA ENTRY OPERATOR) की कई श्रेणियां हैं ? यदि हाँ तो उन्हें किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है। प्रति उपलब्ध कराएँ।
19. Department of Personnel & Training Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Govt. of India के आधिन कार्यरत विभाग जैसे विभागो/divisions/offices etc में संविधा पर नियुक्त कंप्यूटर आपरेटरों या डाटा इन्ट्री औपरेटर (DATA ENTRY OPERATOR) को किस आधार पर वेतन मिलता है तथा इनकी वेतन बढ़ोतरी किस आधार पर होती है और इनका वर्तमान वेतन दिनांक 01-10-2015 को कितना है। इन सबकी प्रति उपलब्ध कराएं Salary Breakup सहित।
20. संविधा पर नियुक्त कंप्यूटर आपरेटरों या डाटा इन्ट्री औपरेटर (DATA ENTRY OPERATOR) को किस प्रकार के भत्ते सुविधाएं Department of Personnel & Training Ministry of Personnel, Public

Grievances and Pensions, Govt. of India के आधिन कार्यरत विभाग जैसे विभागो/divisions/offices etc द्वारा दिये जा रहे हैं विवरण सहित बताएं तथा प्रतिलिपि दे जैसे: किसी भी प्रकार की Leave/allowances या कोई और Financial and other facility विवरण सहित बताएं तथा प्रतिलिपि दे।

21. Department of Personnel & Training Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Govt. of India के आधिन कार्यरत विभाग जैसे विभागो/divisions/offices etc में संविदा पर नियुक्त कंप्यूटर आपरेटरों या डाटा इन्ट्री औपरेटर (DATA ENTRY OPERATOR) को अगर अपने कार्यस्थल आने या जाने पर तथा विभागीय कार्य करने में कोई Accident या अनहोनी होने पर विभागो द्वारा दि जाने वाली किसी भी प्रकार की facility का हवाला दे विवरण दे तथा पूर्व में किसी को दि गई है तो विवरण सहित प्रतिलिपि दे। अगर नहीं तो क्यों नहीं उस नियम का भी पूर्ण विवरण दे तथा वजह बताएं तथा प्रतिलिपि भी दे।
22. Department of Personnel & Training Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Govt. of India के आधिन कार्यरत विभाग जैसे विभागो/divisions/offices etc में संविदा पर नियुक्त कंप्यूटर आपरेटरों या डाटा इन्ट्री औपरेटर (DATA ENTRY OPERATOR) की Salary / agreement / Increment / Facility / Any type Bonus / Last and latest Salary increment and any facility की प्रतिलिपि (photocopy) उपलब्ध कराएँ।
23. Department of Personnel & Training Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Govt. of India के आधिन कार्यरत विभाग जैसे विभागो/divisions/offices etc में संविदा पर नियुक्त कंप्यूटर आपरेटरों या डाटा इन्ट्री औपरेटर (DATA ENTRY OPERATOR) को कितने समय के लिए रखे गए हैं तथा प्रतिलिपि उपलब्ध कराएँ। विभागो द्वारा इनका अनुबंध आखिरी बार कितने समय के लिए बढ़ाया गया है। उसकी प्रति उपलब्ध कराएँ।
24. Department of Personnel & Training Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Govt. of India के आधिन कार्यरत विभाग जैसे विभागो/divisions/offices etc में संविदा पर नियुक्त इन कंप्यूटर आपरेटरों या डाटा इन्ट्री औपरेटर (DATA ENTRY OPERATOR) को स्थायी करने के लिए क्या कोई प्रावधान है तो प्रति उपलब्ध कराएँ।
25. Department of Personnel & Training Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Govt. of India के आधिन कार्यरत विभाग जैसे विभागो/divisions/offices etc में संविदा पर नियुक्त इन कंप्यूटर आपरेटरों या डाटा इन्ट्री औपरेटर (DATA ENTRY OPERATOR) को स्थायी नहीं करने में आ रही अडचन या नियम व कानून तथा विसंगतियों का विवरण दे तथा प्रतिलिपि उपलब्ध कराएँ।
26. क्या कभी Department of Personnel & Training Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Govt. of India के आधिन कार्यरत विभाग जैसे विभागो/divisions/offices etc में संविदा पर नियुक्त इन कंप्यूटर आपरेटरों या डाटा इन्ट्री औपरेटर (DATA ENTRY OPERATOR) को स्थायी किया गया है। यदि हा तो विवरण दे तथा प्रतिलिपि उपलब्ध कराएँ।
27. Department of Personnel & Training Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Govt. of India के आधिन कार्यरत विभाग जैसे विभागो/divisions/offices etc November 2015 तक कितने Computer Operator या डाटा इन्ट्री औपरेटर (DATA ENTRY OPERATOR) संविदा (contract) की आवश्यकता विभागो के अनुसार द्वारा बताएं।
28. Department of Personnel & Training Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Govt. of India के आधिन कार्यरत विभाग जैसे विभागो/divisions/offices etc January 2015 के बाद से अब तक कितने Computer Operator / या डाटा इन्ट्री औपरेटर (DATA ENTRY OPERATOR) संविदा (contract) पर लगाए गए उनकी सूची दिनांक सहित बताएं तथा प्रति उपलब्ध कराएँ।
29. Department of Personnel & Training Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Govt. of India के आधिन कार्यरत विभाग जैसे विभागो/divisions/offices etc में क्या कंप्यूटर ओपरेटर या डाटा इन्ट्री औपरेटर (DATA ENTRY OPERATOR) की Sanctioned Post है। क्या किस विभाग में कितनी है का विवरण दे व प्रतिलिपि दे।

30. Department of Personnel & Training Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Govt. of India के आधिन कार्यरत विभाग जैसे विभागो/divisions/offices etc में संविधा पर अधारित कंप्यूटर ओपरेटर या डाटा इन्ट्री ओपरेटर (DATA ENTRY OPERATOR) को किस आधार पर वेतन दिया जाता है। उसकी प्रति उपलब्ध कराएँ।
31. Department of Personnel & Training Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Govt. of India के आधिन कार्यरत विभाग जैसे विभागो/divisions/offices etc में संविदा / अस्थाई कंप्यूटर आपरेटरों को Graduate & Non graduate के आधार पर वेतन दिया जाता है। प्रति उपलब्ध कराएँ।
32. Department of Personnel & Training Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Govt. of India के आधिन कार्यरत विभाग जैसे विभागो/divisions/offices etc में अगर संविदा / अस्थाई कंप्यूटर ओपरेटर या डाटा इन्ट्री ओपरेटर (DATA ENTRY OPERATOR) की Sanctioned Post नहीं है तो किस आधार पर और कितना वेतन दिया जाता है विवरण सहित बताए तथा प्रति उपलब्ध कराएँ (Break up) सहित।
33. क्या Department of Personnel & Training Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Govt. of India के आधिन कार्यरत विभाग जैसे विभागो/divisions/offices etc में अगर संविदा / अस्थाई कंप्यूटर ओपरेटर या डाटा इन्ट्री ओपरेटर (DATA ENTRY OPERATOR) को minimum wages के आधार पर वेतन देती है यदि नहीं तो क्यों विवरण सहित बताए तथा प्रति उपलब्ध कराएँ। यदि हा तो भी विवरण सहित बताए तथा प्रति उपलब्ध कराएँ।
34. Department of Personnel & Training Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Govt. of India के आधिन कार्यरत विभाग जैसे विभागो/divisions/offices etc में अगर संविदा / अस्थाई कंप्यूटर ओपरेटर या डाटा इन्ट्री ओपरेटर (DATA ENTRY OPERATOR) की Sanctioned Post कितनी है तथा कितने कार्यरत है तथा उनमें कितने स्थाई है तथा कितने अस्थाई है विभागीय विवरण सहित प्रति उपलब्ध कराएँ।
35. क्या Department of Personnel & Training Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Govt. of India के आधिन कार्यरत विभाग जैसे विभागो/divisions/offices etc में अगर संविदा / अस्थाई व Guest Teacher (2014-15 & 2015-16) की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो गई। तथा क्या उनको स्थाई करने का क्या कोई पहल या प्रवधान या Proposal / Scheme / file बन रही है या चल रही है उनका आधार पर विवरण सहित प्रति उपलब्ध कराएँ।
36. क्या Department of Personnel & Training Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Govt. of India के आधिन कार्यरत विभाग जैसे विभागो/divisions/offices etc में किसी भी श्रेणी के अस्थाई कर्मचारी को पूर्व में स्थाई किया गया है या किया जा रहा है दोनों ही स्थिति में बताए कि किस प्रावधान व नियम के तहत इन्हें स्थाई किया गया है तथा किया जा रहा है। प्रति उपलब्ध कराएँ।
37. क्या Department of Personnel & Training Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Govt. of India के आधिन कार्यरत विभाग जैसे विभागो/divisions/offices etc में संविदा / अस्थाई कंप्यूटर ओपरेटर या डाटा इन्ट्री ओपरेटर (DATA ENTRY OPERATOR) को क्या कभी स्थाई किया है या किया जा रहा है तो स्थायीकरण (Regular) के लिय क्या प्रक्रिया अपनाई गई है बताए तथा किस प्रावधान के तहत इन्हें स्थाई किया जा रहा है व रूल पोशिशन / नियम भी बताए प्रतिलिपि (Photocopy) उपलब्ध कराये।
38. संविधा पर नियुक्त किसी भी श्रेणी के अस्थाई कर्मचारी को स्थाई करने के लिए Department of Personnel & Training Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Govt. of India या इसाके आधिन कार्यरत विभाग जैसे विभागो/divisions/offices etc ने क्या मापदंड रखे गए बताए तथा किस प्रकार के आयोजन किये गए जैसे: Test / Interview / Age Relaxation / Education Qualification / Technical Qualification / Working period in department (experience) etc विस्तार से और विवरण सहित बताए तथा प्रति दे।

37. क्या Department of Personnel & Training Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Govt. of India के आधिन कार्यरत विभाग जैसे विभागो/divisions/offices etc बिना किसी चयन बोर्ड जैसे DSSSB/SSC and any govt. selection body/ board etc, except his own department (जहा वे काम कर रहा है) के बिना भी किसी भी कर्मचारी को स्थाई कर सकता है या करने में सक्षम है तो रूल पोशिशन / नियम व ओडर की कोपी दे और बताए अगर ऐसा किसी विभाग द्वारा किया गया है तो कब तथा किस आधार पर नियम विवरण सहित बताए तथा प्रतिलिपी उल्लब्ध कराए।
39. Department of Personnel & Training Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Govt. of India के आधिन कार्यरत विभाग जैसे विभागो/divisions/offices etc में में कुल कितने अस्थाई व स्थाई कर्मचारी कार्य कर रहे है या कार्य कर चुके है October 2015 तक पद सहित संख्या बताए तथा उन कर्मचारियों की नियुक्ती कब और किस प्रकार से हुई है बताए तथा प्रतिलिपी (photocopy) दे।
40. Department of Personnel & Training Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Govt. of India के आधिन कार्यरत विभाग जैसे विभागो/divisions/offices etc में sanction post create करने के लिए क्या प्रवधान आधार नियम विवरण सहित बताए तथा प्रतिलिपी (photocopy) उल्लब्ध कराए। है अगर किसी विभाग में sanction post नहीं है तो क्या विभाग द्वारा sanction post create करने के लिए कोई समय सीमा है तो बताए तथा इससे सम्बंधित कोई भी नियम व Rule position बताए व प्रतिलिपी (photocopy) उल्लब्ध कराए।
41. Department of Personnel & Training Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Govt. of India के आधिन कार्यरत विभाग जैसे विभागो/divisions/offices etc में संविदा / अस्थाई (Direct engaged by Department) कंप्यूटर ओपरेटर या डाटा इन्ट्री औपरेटर (DATA ENTRY OPERATOR) या कोई भी क्षेणी के कर्मचारी जो पिछले 05 सालों से भी अधिक समय से विभाग में कार्य कर रहे है उनका क्या Future है तथा क्या उनके के लिए कोई Proposal / file है या बन रही है तो तो बताए व प्रतिलिपी (photocopy) उल्लब्ध कराए।
42. Department of Personnel & Training Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Govt. of India के आधिन कार्यरत विभाग जैसे विभागो/divisions/offices etc में संविदा / अस्थाई (Direct engaged by Department) कंप्यूटर ओपरेटर या डाटा इन्ट्री औपरेटर (DATA ENTRY OPERATOR) कोई भी क्षेणी के कर्मचारी को नियमित या कुछ सुविधाएं बढाने जैसे किसी भी प्रकार के वित्तिय भत्ते आदि के लिए कोई Proposal / file बनी थीं या चली रही है दोनो ही स्थिती में विस्तार से बताए व प्रतिलिपी (photocopy) उल्लब्ध कराए।
43. Contractual employees के लिए क्या-क्या प्रावधान या किस प्रकार के नियम है व एक्ट है तथा उनहे किस तरह के सुविधाएँ दी जाती है के बारे में विस्तार से बताए व प्रतिलिपी (photocopy) उल्लब्ध कराए।
44. अगर Department of Personnel & Training Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Govt. of India के किसी विभाग (divisions/offices etc) द्वारा प्रावधान या नियम व एक्ट तथा सुविधाएँ ना लागु हो तो उसको लागु करवाने के लिए किस प्रकार के नियम है व प्रवधान है तथा उस विभाग पर किस तरह कि कार्यवाही की जा सकती है के बारे में विस्तार से बताए व प्रतिलिपी (photocopy) उल्लब्ध कराए।
45. कृप्या बताए कि Department of Personnel & Training Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Govt. of India के किसी विभाग (divisions/offices etc) में किसी भी पद पर कार्य कर रहे Contractual employees जिसकी उस विभाग में Sanctioned Post नहीं है तो किसी वर्ग के Contractual employees को तो minimum wages दें और दूसरे वर्ग के Contractual employees को minimum wages से ज्यादा दे सकता है किस नियम के तहत विस्तार से बताए व प्रतिलिपी (photocopy) उल्लब्ध कराए।
46. कृप्या यह भी बताए कि Department of Personnel & Training Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Govt. of India के किसी विभाग (divisions/offices etc) में किसी भी पद

- पर कार्य कर रहे Contractual employees जिसकी उस विभाग में Sanctioned Post नहीं है और विभाग द्वारा किसी NIELIT/ DOEACC या अन्य किसी ऐजेंसी या ठेकेदारों के द्वारा संविदा पर नियुक्त Contractual employees को विभाग द्वारा Medical and PF Facility with third party commission तो दे सकता है परन्तु अपने आधिन कार्य कर रहे कर्मचारी को सिर्फ minimum wages ही दे सकता है क्या ऐसा कोई नियम या कानून है तो इस नियम व कानून के तहत विस्तार से बताएं व प्रतिलिपी (photocopy) उपलब्ध कराएं।
47. बताएं कि अगर सरकारी विभाग द्वारा ही अपने संविदा पर आधारित कर्मचारियों का सालों से उपेक्षित किया जा रहा है। कृपया बताएं कि हमारे जैसे संविदा पर 10 से भी अधिक समय से कार्य कर रहे कर्मचारियों को क्या - क्या सुविधाएं मिल सकती है तथा हमारे लिए किस तरह के नियम कानून है विस्तार से बताएं व प्रतिलिपी (photocopy) उपलब्ध कराएं।
48. कृपया बताएं कि Department of Personnel & Training Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Govt. of India के आधिन विभिन्न विभागों में कार्य कर रहे संविदा / अस्थाई (Contract Employees) engaged by third party / contractor / NIELIT / DOEACC कार्यरत कर्मचारियों जैसे (computer operator / data entry operator) को Department of Personnel & Training Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Govt. of India ने पूर्व में या वर्तमान में कभी अपने पैराल / contract पर रखा है तो उनकी सूची कि प्रतिलिपी (Photocopy) उपलब्ध कराये।
49. कृपया बताएं कि Department of Personnel & Training Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Govt. of India क्या कोई ऐसा नियम या Policy है कि कोई विभाग कितने समय के लिए संविदा / अस्थाई (Contract Employees) को रख सकते है।
50. कृपया बताएं कि Department of Personnel & Training Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Govt. of India क्या कोई ऐसा नियम व Policy है कि कोई विभाग उस वर्ग (post) के कर्मचारी को कब तक संविदा / अस्थाई तौर पर रख सकता है जबकि उसके पास उस वर्ग (post) की उस विभाग में Sanctioned Post नहीं है कृपया प्रतिलिपी (Photocopy) उपलब्ध कराये।
51. कृपया बताएं कि Department of Personnel & Training Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Govt. of India किस नियम व Policy के तहत कोई विभाग, Ministry, Board, Office अपने मनमाने तरीके से बिना किसी Sanctioned Post के संविदा / अस्थाई तौर कर्मचारियों को रखता है और सालों तक बिना Sanctioned Post बनाए उनसे काम ले सकता है क्या इसकी कोई समय सीमा है विस्तार से बताएं तथा यह भी बताएं कि क्या ऐसा नियम व Policy है कि विभाग, Ministry, Board, Office को एक निश्चित समय सीमा के अन्दर उस वर्ग (post) को create करना होता है कृपया प्रतिलिपी (Photocopy) उपलब्ध कराये।

Encl: Postal order Rs.10/-

Nos of pages 07 (07)

Nos of Question 1 to 51

Photocopy of राष्ट्रीय खाद सुरक्षा कार्ड, दिल्ली सरकार द्वारा गरीबी रेखा से निचे रहने वालों के लिए जारी होता है तो इस इसप्रकार आप मुझे किसी भी प्रकार के भुगतान से वंचित रखें। (below in poverty line, rashan card)

Tapeshwar Singh
(Tapeshwar Singh)

Plot No. 35, Indra Puram,
Shakti Khand-II,
Near : Swaran Jyanti Park
Ghaziabad (UP)- 201002